

न्यायालय :-सदस्य द्वितीय मोटरयान दुर्घटना, दावा अधिकरण,  
गोहद,जिला भिण्ड  
 (समक्ष: पी0सी0आर्य)

क्लेम प्रकरण क्रमांक: 63 / 2010  
फाइलिंग नंबर-230303000142012

- 1- दशरथ सिंह, पुत्र नवाब सिंह गुर्जर  
उम्र-27 साल
- 2- भूरीबाई पत्नी दशरथ सिंह गुर्जर,  
उम्र-24 साल
- 3- अमन पुत्र दशरथ सिंह, आयु-05 साल,  
नाबालिग व सरपरस्त पिता दशरथ सिंह गुर्जर  
निवासीगण-ग्राम पाली थाना पावई परगना  
अटेर जिला भिण्ड मध्यप्रदेश ।

-----आवेदकगण

#### वि रु द्ध

- 1- संतोष कुमार, पुत्र लोटन सिंह, 28 साल  
निवासी वार्ड नंबर 8 गोहद .....मालिक एवं चालक
- 2- द न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
मण्डल कार्यालय क. -2 ग्वालियर,  
मोतीमहल रोड गुरुद्वारा के पीछे ग्वालियर.....बीमा कंपनी  
-----अनावेदकगण

---

आवेदक द्वारा श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता ।  
 अनावेदक क्रमांक-01 द्वारा श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता ।  
 अनावेदक क्रमांक-03 द्वारा श्री आर.के. वाजपेयी अधिवक्ता ।

---

### **-::- अधि-निर्णय -::-**

(आज दिनांक 17 जून, 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. आवेदकगण की ओर से उक्त आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-166 मोटर दुर्घटना अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहन दुर्घटना में आयी साधारण और गंभीर चोटों के फलस्वरूप हुई शारीरिक, मानसिक पीडा एवं इलाज में लगे व्यय की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत करते हुए आवेदक क्रमांक- 1 और 2 को 25-25 हजार रुपये एवं आवेदक क्रमांक-3 को 3,30,000/- रुपये अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथक्कतः मय 12 प्रतिशत मासिक ब्याज सहित मय खर्च के दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है ।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अनावेदक क्रमांक-01 बताये गये दुर्घटनाकारी वाहन का पंजीकृत स्वामी है और उसका वाहन इंडिगो कार अनावेदक क्रमांक-2 के यहां बीमित है ।

3. आवेदकगण का आवेदन सार संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-25/5/2012 को वह अपने गांव ग्राम पाली से अपनी मोटर साइकिल क्रमांक-एम.पी.-30 एम.बी.-4781 से ग्राम दिलीप सिंह का पुरा डांग परगना गोहद अपनी रिश्तेदारी में गमी हो जाने से शोक संवेदना करने (फेरा करने) के लिए जा रही थी, दिन के करीब 12:10 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड बंजारे का पुरा थाना गोहद चौराहा के क्षेत्रांतर्गत लोक मार्ग पर जाते समय गोहद चौराहा की तरफ से अनावेदक क्रमांक-1 अपनी लाल रंग की बिना नंबर की इंडिगो कार को तेजी और लापरवाही से चलाकर लाया और उनकी मोटर साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे वे गिर गये, जिसके फलस्वरूप दशरथ सिंह को दांये कंधे, बांये पैर व शरीर में अन्य जगह, भूरीबाई को बांये पैर के घुटने, दांयी आंख के पास कनपटी पर और दाहिने कंधे पर चोट आयी और उनका पांच वर्षीय अव्यस्क पुत्र अमन के बांये कंधे, बांये गाल, दांयी आंख के पास, बांये पैर के घुटने पर गंभीर चोट आयी और शरीर में अन्य जगहें भी चोटें लगी । तथा बांये पैर की घुटने से जांघ के बीच की हड्डी टूटकर अलग हो गयी । जिसे गोहद अस्पताल में तत्काल पहुंचाया गया और वहां दुर्घटना की देहाती नालिसी रिपोर्ट दशरथ सिंह ने दर्ज करायी, जिसपर से अपराध क्रमांक-92/2011 धारा-279, 337 भा0दं0सं0 का पंजीबद्ध किया गया । गंभीर चोट के आधार पर धारा-338 भा0दं0सं0 का मामला दर्ज किया गया और दुर्घटनाकारी कार अनावेदक क्र.-1 के द्वारा सुपुर्दगी पर न्यायालय से प्राप्त की, अमन 15 दिन भर्ती भी रहा और उसका गोहद व ग्वालियर में इलाज हुआ, जिसमें भर्ती रहने, दवाई और डाक्टर की फीस, प्लास्टर आदि में करीब **एक लाख रुपये** खर्च हुए और बीस हजार रुपये देखरेख, खानपान में तथा दस हजार रुपये आवागमन में खर्च हुए तथा उसके पुत्र के पैर में अपंगता आ गयी है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए दो लाख रुपये खर्चे के अलावा एवं दशरथ और भूरीबाई की चोटों के संबंध में 25-25 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति चाही गयी है, क्योंकि पुत्र के भविष्य में बड़े होने पर शासकीय सेवा में पैर की कमी के कारण नुकसान होगा ।

4. अनावेदक क्र.-1 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर विरोध करते हुए लेख किया है कि उसके द्वारा कोई दुर्घटना नहीं की गयी है और आवेदकगण के द्वारा दी गयी जानकारी के बारे में उसे कोई पता नहीं है । वास्तविकता में उसकी इंडिको कार से भिण्ड ग्वालियर रोड बंजारे के पुरा के पास मेहगांव की तरफ से अरविंद सिंह भदौरिया निवासी ग्राम बरहा तहसील मेहगांव का ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन क्रमांक- यू.पी.-75/5745 को तेजी और लापरवाही से चलाकर लाया था और उसकी कार में टक्कर मार दी, जिससे उसकी कार क्षतिग्रस्त हो गयी थी और उसे चोटें भी आयी थी, उसका चाचा भीखाराम भी साथ में था। उसने घटना की गोहद चौराहा थाने पर रिपोर्ट की थी, जिसपर से अपराध क्रमांक-93/2012 धारा-279, 337 अरविंद सिंह के विरुद्ध कायम किया गया था और चालान भी न्यायालय में पेश किया है, जे.एम.एफ.सी. गोहद के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक-335/2012 संचालित है । आवेदकगण मोटर साइकिल पर बैठकर तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आये थे और ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उन्हें चोटें आयी, उसकी कार से कोई दुर्घटना नहीं हुई और असत्य आधारों पर झूठा क्लेम पाने के लिए आवेदनपत्र किया है, जो झूठी रिपोर्ट पर आधारित है तथा उसकी कार अनावेदक क्र.-2 के यहां वैध रूप से बीमित है और आवेदकगण उससे कोई क्षतिपूर्ति पाने का

अधिकारी नहीं है । फलतः आवेदनपत्र सव्यय निरस्त किया जावे ।

5. अनावेदक क्र.-2 बीमा कंपनी की ओर से प्रथम से जवाब प्रस्तुत कर विरोध करते हुए मूलतः लेख किया है कि अनावेदक क्र.-1 की कार से कोई दुर्घटना नहीं हुई । न ही उसके चालक की कोई तेजी एवं लापरवाही के कारण कोई दुर्घटना घटी और आवेदकगण को कोई चोट, फैंक्चर या स्थाई अपंगता नहीं आयी है तथा उनके यहां वाहन क्रमांक-एम.पी.-30 सी.-1363 प्राइवेट कार के रूप में बीमित है और वह पॉलिसी की शर्तों के अंतर्गत ही आबद्ध है, अन्यथा उत्तरदायी नहीं है । उक्त कार से कोई दुर्घटना ही नहीं घटी इसलिये अनावेदकगण उनसे कोई भी क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी नहीं है तथा आवेदनपत्र में संपूर्ण विवरण असत्य लिखा हुआ है और इंडिगो कार के इंजन चेसिस नंबर 10668/06974 के आधार पर पॉलिसी की शर्तों के तहत बीमा किया गया है । पॉलिसी की शर्तों एवं मोटरयान अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनावेदक क्र.-1 के पास वैध और प्रभावी रजिस्ट्रेशन दुर्घटना दिनांक को नहीं था । इसलिये वह उत्तरदायी नहीं है और पंजीकरण न होने से बीमा शर्तों का उल्लंघन हुआ है, इसलिये उनसे कोई क्षतिपूर्ति नहीं दिलायी जा सकती है और आवेदनपत्र सव्यय निरस्त किया जावे । विशेष आपत्ति लेते हुए यह भी लेख किया है कि मोटर साइकिल पर तीन लोग बैठे थे, जो कि पात्रता से अधिक है तथा मोटर साइकिल चलाने का कोई वैध और प्रभावी लाइसेंस भी मोटर साइकिल चालक के पास नहीं था और मोटर साइकिल के स्वामी को पक्षकार बनाये वगैर दावा चलने योग्य नहीं है । आवेदकगण ने अपना पैन नंबर भी प्रस्तुत नहीं किया है और अनावेदक क्र.-1 से दुरभि संधि कर ली है ।

06. उभयपक्ष के अभिवचनों एवं दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्न लिखित वादप्रश्नों की रचना की गयी है, जिनके समक्ष मेरे द्वारा निकाले गये निष्कर्ष अंकित किए जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं :-

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या, दिनांक 25/5/2012 को अनावेदक क्र.-1 के द्वारा इंडिगो कार क्रमांक-एम.पी.-30 सी-1363 को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारकर आहत दशरथ सिंह, भूरीबाई एवं नाबालिग अमन पुत्र दशरथ को चोटें पहुंचायी ?	
2.	क्या, उपरोक्त दुर्घटना कारित करने में आवेदक क्रमांक-01 मोटर साइकिल चालक की स्वयं की तेजी व लापरवाही रही ? यदि हां तो प्रभाव ?	
3.	क्या, उक्त दुर्घटना में आयी चोटों से अनावेदक क्र.-3 अमर को गंभीर उपहति कारित होकर स्थाई अशक्तता कारित हुई ?	
4.	क्या, घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन इंडिगो का बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के व रजिस्ट्रेशन के बिना चलाया जा रहा था ? यदि हां तो प्रभाव ?	
5.	क्या, प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है ?	

6.	क्या, आवेदक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? यदि हां तो कौन कौन एवं कितनी किससे ?	
7.	सहायता एवं वादव्यय ?	

—::— **निष्कर्ष के आधार** —::—

07. अनावेदकगण की ओर से आवेदक दशरथ सिंह आ.सा.—01, भूरीबाई आ.सा.—2 और डाक्टर धीरज गुप्ता आ.सा.—3 की अभिसाक्ष्य करायी गयी है । साथ ही प्रदर्श पी—01 लगायत— पी—48 के दस्तोवज पेश किए गये हैं । अनावेदक क्र.—2 की ओर से रामलखन आर.टी.ओ. कार्यालय का क्लर्क अना.सा.क्र.—1 तथा ललित इक्का अना.सा.क्र.—2 के कथन कराये गये हैं और प्रदर्श डी.—01 लगायत—03 के दस्तावेज पेश किये गये हैं तथा अनावेदक क्र.—2 ने स्वयं अनावेदक साक्षी क्र.3 के रूप में अभिसाक्ष्य देते हुए प्रदर्श डी.—04 का ड्राइविंग लाइसेंस पेश किया है ।

—::—**वादप्रश्न क्रमांक— 1 लगायत—03** के संबंध में विश्लेषण और निराकरण —::—

08. इस संबंध में परीक्षित साक्षियों में आवेदक दशरथ सिंह आ.सा.—1 ने अपनी अभिसाक्ष्य में दिनांक—25/5/2012 को दिन के समय अपनी पत्नी भूरीबाई और पांच वर्षीय पुत्र अमन के साथ स्वयं की मोटर साइकिल क्रमांक—एम.पी.—30 एम.बी.—4781 से ग्राम दिलीप सिंह का पुरा डांग थाना गोहद चौराहा के अंतर्गत रिश्तेदारी में मृत्यु हो जाने से संवेदना प्रकट करने (फेरा करने) के लिए जाते समय दिन के करीब 12:10 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड पर बंजारे का पुरा थाना गोहद चौराहा पर जैसे ही वह आया, तब भिण्ड की तरफ से अनावेदक क्र.—1 लाल रंग की इंडिगो कार जिसपर नंबर नहीं था तेजी और लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी मोटर साइकिल में टक्कर मार दी जिससे मोटर साइकिल गिर गयी और उसे, उसकी पत्नी व पुत्र को चोटें आयी, पुत्र के बांये पैर के घुटने में गंभीर चोटें आयी और घुटने से जांघ के बीच की हड्डी टूटकर अलग हो गयी, जिससे वह अस्पताल लेकर गया था और उसने घटना की रिपोर्ट की थी, जिसपर से थाना गोहद चौराहा अपराध क्रमांक—92/2011 पंजीबद्ध हुआ था । अनावेदक क्र.—1 ने अपनी इंडिगो कार सुपुर्दगी पर ली थी, जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एम.पी.—30 सी—1263 लिखा था, जबकि 1363 है । सुपुर्दगी के आधार पर उन्होंने आवेदनपत्र में लिखा जो बाद में संशोधन द्वारा दुरुस्त किया जा चुका है, जिसके संबंध में संशोधन स्वीकार हो चुका है और उसके बाबत भी अतिरिक्त साक्ष्य अना.सा.—1 और अना.सा.—2 की हो चुकी है । जिससे अनावेदक क्र.0—1 इंडिगो कार नंबर एम.पी.—30 सी—1363 का स्वामी होना अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं दस्तावेजों से परिलक्षित होता है ।

09. आ.सा.—01 दशरथ सिंह की अभिसाक्ष्य का समर्थन उसकी पत्नी श्रीमती भूरीबाई ने भी अपनी अभिसाक्ष्य में किया है और कोई इस बाबत तात्त्विक स्वरूप के विरोधाभास प्रकट नहीं हैं तथा अभिलेख पर प्रदर्श पी.—1 अभियोगपत्र प्रदर्श पी.—2 एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.—03, नक्शा मौका प्र.पी.—4, देहाती नालिसी से मौखिक साक्ष्य का समर्थन किया, जिससे दुर्घटना दिनांक 25/5/2012 को दिन के करीब 12:10 बजे भिण्ड ग्वालियर लोक मार्ग बंजारा

के पुरा के पास थाना गोहद चौराहा के क्षेत्रांतर्गत आवेदक दशरथ सिंह द्वारा चलायी जा रही मोटर साइकिल रजि.क्र.-एम.पी.-30 एम.बी. 4781 का लाल रंग की इंडिगो कार बिना नंबर की गाडी से एक्सीडेंट होना परिलक्षित होता है। प्रदर्श पी.-09 के जप्ती पंचनामा मुताबिक दुर्घटना दिनांक को ही घटनास्थल से अंडिगो कार लाल रंग की बिना नंबर की जिसका चेसिस नंबर M.A.T 601465 C.W.B 10668. और इंजन नंबर 14 CRAILO8BXW06974. मय सेललेटर एवं बीमा पॉलिसी संतोष राठौर के नाम का ड्राइविंग लाइसेंस सहित जप्त हुआ है। अर्थात् दुर्घटना दिनांक को ही घटनास्थल से उक्त वाहन जप्त किया गया, ऐसे में अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ताओं का यह तर्क कि रिपोर्ट नामजद नहीं है और उसमें वाहन क्रमांक भी नहीं है, इस पर से कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है तथा अनावेदक क्र.-2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बिन्दु पर प्रस्तुत किया गया न्याय दृष्टांत **नेशनल इश्योरेस कंपनी लिमिटेड वि० श्रीमती सीतू बाई एवं अन्य आई.एल.आर. 2008 एम.पी. पेज-2367** प्रकरण की परिस्थितियों में मेल नहीं खाता है। क्योंकि न्याय दृष्टांत के मामले में जो पुलिस द्वारा अभियोपत्र पेश किया गया था उसमें ट्रक के बजाये बस दुर्घटनाकारी वाहन बताया गया था और एफ आई आर में ट्रक से दुर्घटना बतायी गया था। इस मामले में ऐसा नहीं है, इंडिगो कार का रजिस्ट्रेशन नंबर में जो विरोधाभास प्रकट हुआ है, वह सुपुर्दगीनामा के आधार पर हुआ है और जे एम एफ सी न्यायालय में अनावेदक संतोष कुमार द्वारा जो सुपुर्दगीनामा पेश किया गया था, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी.-8 के रूप में पेश है। उसमें भी रजिस्ट्रेशन क्रमांक-एम.पी.-30 सी-1263 अंकित था, जिसके आधार पर मूल आवेदनपत्र में किया गया। जबकि वास्तविक रजिस्ट्रेशन प्रदर्श डी.-1 और डी.-2 मुताबिक वाहन क्रमांक-1363 है और इस संबंध में विचारण के दौरान ही संशोधन हो चुका है और उसमें साक्ष्य भी आ चुकी है। इसलिये न्याय दृष्टांत लागू नहीं होता है तथा मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा- 50 क (1) के प्रावधान मुताबिक आर.टी.ओ कार्यालय में वाहन जिस व्यक्ति के नाम से पंजीकृत होता है, वही उस वाहन का स्वामी माना जाता है, जिससे इस प्रकरण में बतायी गयी इंडिगो कार क्रमांक-एम.पी.-30 सी-1363 का निर्विवादित स्वामी अनावेदक क्र.-1 संतोष सिंह राठौर है, जिससे दुर्घटना होना बताया गया है।

10. जहां तक दुर्घटना का प्रश्न है, आवेदकगण की साक्ष्य से उनकी मोटर साइकिल में अनावेदक क्र.-1 की उक्त इंडिगो कार के द्वारा दुर्घटना कारित की जाना मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभिलेख पर है। अनावेदकगण की ओर से अभिवचनों और साक्ष्य का स्पष्ट प्रत्यख्यान (खण्डन) नहीं है। अनावेदक क्र.-1 ने अपने अभिवचनों में यह आधार लिया था कि वास्तविकता में उसकी इंडिगो कार में अरविंद सिंह भदौरिया ने ट्रैक्टर क्रमांक यू.पी.-75 -5745 से टक्कर मारकर दुर्घटना की थी और उस ट्रैक्टर की ट्रॉली में आवेदक ने मोटर साइकिल से टक्कर मार दी थी, जिससे उनके चोटे आयी होंगी। किन्तु इस अभिवचन के संबंध में अनावेदकगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं है। अनावेदक क्र.-1 संतोष राठौर ने इस बात कोई साक्ष्य नहीं दी है बल्कि केवल इतना कहा है कि उसके वाहन से किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई और उसकी गाडी वैध रूप से बीमित है और ड्राइविंग लाइसेंस भी उसपर है। अर्थात् किसी ट्रैक्टर से आवेदकगण की मोटर साइकिल टकरायी या स्वयं दशरथ ने उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से मोटर

साइकिल चलाकर ट्रॉली में टक्कर मारी, इस बाबत किए गये अभिवचन साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है इसलिये उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है । क्योंकि कोई भी अभिवचन साक्ष्य के बगैर प्रमाणित नहीं हो सकता है और यह सुस्थापित विधि है कि दुर्घटना से संबंधित क्षतिपूर्ति के मामले में सिविल मामले की तरह साक्ष्य के सख्त नियम को लागू नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मोटर यान अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति संबंधी प्रावधान कल्याणकारी प्रावधान है, जैसा कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **दिनेश कुमार एवं अन्य विरुद्ध राधेश्याम एवं अन्य 2005 भाग-2 एम. पी.एल.जे. पेज-21** में प्रतिपादित किया है । यहां यह भी उल्लेखनीय होगा कि यदि मोटर दुर्घटना संबंधी दावों में वाहन स्वामी यह आधार लेता है कि दुर्घटना घटित नहीं हुई है तो इसे प्रमाणित करने का भार चालक पर ही है । इस संबंध में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **सरदाररानी विरुद्ध नारायण पंडित 2003 ए.सी.जे. पेज-52 एम.पी.** में दिया मार्गदर्शन अवलोकनीय है । ऐसे में अनावेदक क.-1 का लिचा गया आधार कतई स्थापित नहीं है ।

11. अनावेदक क.-2 की ओर से जो अभिलेख पर साक्ष्य पेश की गयी है उसमें आर.टी.ओ. कार्यालय भिण्ड से सहायक ग्रेड तीन रामलखन को अनावेदक साक्षी क.-1 के रूप में परीक्षित कराया है, जिसने अपनी अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वाहन क्रमांक-एम.पी.-30 सी-1363 संतोष पुत्र लोटन सिंह निवासी सती बाजार गोहद के नाम से उनके कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नंबर M.A.T 601465 C.W.B 10668. और इंजन नंबर 14 CRAILO8BXW06974. है और उक्त रजिस्ट्रेशन दिनांक-1/6/2012 को किया गया था, जिसकी प्राप्ति प्र.डी.-2 के एंव रजिस्ट्रेशन का विवरण प्रदर्श डी.-2 उनके आर.टी.ओ कार्यालय से जारी होना बताया गया है तथा यह कहा है कि दिनांक-25/5/12 को उक्त गाडी पंजीकृत नहीं थी, लेकिन साक्षी ने यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति की है कि नवीन वाहन खरीदा जाता है, उसका अस्थाई रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसी के आधार पर एक माह बाद स्थाई पंजीयन होता है । उक्त गाडी का भी उसी आधार पर उसने पंजीयन किया था लेकिन वह मूल नस्ती लेकर नहीं आया है, उसके मुताबिक अस्थाई पंजीयन एवं बीमा से संबंधित दस्तावेज पंजी में नहीं रहते हैं ।

12. इस तरह से उक्त साक्षी के मुताबिक पहले अस्थाई रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बाद मूल रजिस्ट्रेशन क्रमांक-एम.पी.-30 सी-1363 हुआ । उक्त साक्षी चूंकि संपूर्ण अभिलेख लेकर नहीं आया था इसलिये यह उपधारणा निर्मित होगी कि पहले अस्थाई पंजीयन हुआ होगा । अन्यथा स्थाई पंजीयन संभव नहीं था । ऐसे में अनावेदकगण का यह तर्क कि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क.-1 की इंडिगो गाडी पंजीकृत नहीं थी और उसके आधार पर क्षतिपूर्ति का मामला नहीं बनता है, स्वीकार योग्य नहीं है । हालांकि संतोष राठौर अनावेदक क.-3 ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक-25/5/2012 को उसकी गाडी का रजिस्ट्रेशन नहीं था । लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही कर दी थी, कार्यवाही संबंधी दस्तावेज अवश्य उसने पेश नहीं किए हैं, लेकिन चूंकि मूल पंजीयन दिनांक-1/6/12 को स्थाई रूप से हो गया इसलिये दुर्घटना उससे 6 दिवस पुरानी ही थी ऐसे में अस्थाई पंजीयन की उपधारणा की जावेगी और अनावेदक क.-2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **कुडेराराम**



**उर्फ कुडैरी विरुद्ध कमल किशोर एवं अन्य 2004 भाग-1 डी.एम. पी.-पेज-160(एम.पी.)** भी प्रकरण में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान प्रकरण में अनावेदक क्र.-1 की इंडिगो गाडी घटनास्थल से छ टना दिनांक को ही जप्त हुई है, जिसपर कोई रजिस्ट्रेशन क्रमांक अंकित नहीं था । ऐसे में न्याय दृष्टांत भिन्न तथ्यों पर आधारित है तथा **सुधीर हुईया विरुद्ध नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य 2005 भाग-2 दुर्घटना मुआवजा प्रकाशिका-50 कलकत्ता का** न्याय दृष्टांत भी इस प्रकरण से भिन्नता रखता है तथा मोटर यान अधिनियम की धारा-39 के तहत अनावेदक की गाडी का पंजीयन है, ऐसे में प्रस्तुत किया गये न्याय दृष्टांतों से अनावेदक क्र.-2 को कोई लाभ नहीं पहुंचता है ।

13. डाक्टर धीरज गुप्ता अ.सा.-3 ने अपनी अभिसाक्ष्य में दिनांक-25/5/2011 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर रहते हुए पुलिस गोहद चौराहा द्वारा लाये जाने पर एक्सीडेंट में घायल हुए अमन गुर्जर की चोट का परीक्षण कर उसकी मेडीकल रिपोर्ट प्रदर्श पी.-5 तैयार करना बताया है और एक्सरे परीक्षण भी कराया जाना बताया है, जिसकी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी.-10 है, जिसमें बांये पैर में ढीमर नामक हडडी का अस्थि भंजन बताया गया है तथा आहत को इलाज हेतु ग्वालियर रिफर करना भी बताया गया है । इसके अलावा भूरीबाई को चोट होना और उसकी चोटों की मेडीकल रिपोर्ट प्रदर्श पी.-6 तथा दशरथ सिंह को आई चोट की मेडीकल रिपोर्ट प्रदर्श पी.-7 तैयार करना बताया है और पायी गयी चोटें दुर्घटनात्मक स्वरूप की होने का अभिमत दिया है ।

14. इस तरह से चिकित्सक की अभिसाक्ष्य मुताबिक दशरथ सिंह और भूरीबाई की चोटें साधारण और अमन की साधारण व गंभीर पायी गयी । उक्त चिकित्सक द्वारा प्रदर्श पी.-5 लगायत 7 और 10 को प्रमाणित किया और उसके खण्डन में अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे आवेदक क्र.-1 व 2 के अभिसाक्ष्य से यह प्रमाणित हो जाता है कि आहत/आवेदकगण को दिनांक-25/5/2012 को दुर्घटना में चोटें आयी, जिसमें अमन को गंभीर चोटें भी आयीं और उनकी मोटर साइकिल का इंडिगो गाडी क्रमांक- एम.पी.-30 सी-1363 से एक्सीडेंट हुआ, जिसका दुर्घटना दिनांक को मालिक व चालक अनावेदक क्र.-1 संतोष राठौर था, जिसके द्वारा उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की गयी और उसके फलस्वरूप आहत आवेदकगण को चोटें आयी । किन्तु अमर को फैंक्चर होकर गंभीर चोट तो अवश्य है लेकिन कोई स्थाई अशक्तता का प्रमाणपत्र अभिलेख पर नहीं है । आवेदक दशरथ द्वारा अपनी अभिसाक्ष्य में प्रदर्श पी.-48 का स्वयं का ड्राइविंग लाइसेंस पेश किया है, जिसके मुताबिक दुर्घटना दिनांक को उसके पास मोटर साइकिल चलाने का वैध लाइसेंस था क्योंकि प्रदर्श पी.-48 का कोई खण्डन अभिलेख पर नहीं है, इसलिये आवेदक का वाहन चलाने में कोई विधिक अवहेलना नहीं मानी जा सकती है, जहां तक इस बिन्दु पर अनावेदक क्र.-2 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि मोटर साइकिल पर केवल दो सवारियों की अनुमति होती है और आवेदकगण तीन सवारियों जा रही थीं, यह भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि आवेदक दशरथ जिस मोटर साइकिल को चलाकर ले जा रहा था, उसपर उसकी पत्नी बैठी थी और पांच वर्षीय अल्प अव्यस्क पुत्र था, जिसे तीसरी सवारी की उपमा नहीं दी जा सकती है ।

इसलिये इस बिन्दु पर किया गया तर्क स्वीकार योग्य नहीं है और उसे मोटरयान अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है और इस संबंध में अनावेदक क्र.-2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया न्याय दृष्टांत **रामकुमार एवं अन्य विरुद्ध जिलेसिंह एवं अन्य 2002 भाग-1 दुर्घटना मुआवजा प्रकाशिका 140 (पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय)** भी लागू किये जाने योग्य नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं पहुंचता है । फलतः वादप्रश्न क्रमांक-1 एवं 2 आवेदकगण के पक्ष में प्रमाणित पाकर "सकारात्मक" रूप से निर्णीत किए जाते हैं तथा वादप्रश्न क्रमांक-3 गंभीर उपहति कारित होने की सीमा तक आंशिक रूप से आवेदकगण के पक्ष में प्रमाणित निर्णीत किया जाता है ।

#### वादप्रश्न क्रमांक-04

15. इस वादप्रश्न का सिद्धी भार अनावेदक क्र.-2 पर था और इसके संबंध में अनावेदक क्र.-2 की ओर से जो साक्ष्य पेश की गयी है, उसमें बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक ललित इक्का अनावेदक साक्षी क्र.-2 ने यह बताया है कि अनावेदक क्र.-1 की कार का बीमा दिनांक-24/3/2012 से 23/3/2013 तक के लिए प्राइवेट कार के रूप में किया गया था और बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं वैध रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, जो दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्र.-1 के पास नहीं था इसलिये बीमा कंपनी का कोई दायित्व नहीं बनता है, इस संबंध में उन्होंने प्रदर्श डी.-1 लगायत 3 के दस्तावेज पेश किए हैं । उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनकी बीमा कंपनी से अनावेदक क्र.-1 का वाहन दिनांक-24/2/12 से 23/3/13 की अवधि में वैध रूप से बीमित था । अर्थात् दुर्घटना दिनांक 25/5/12 को गाडी बीमित थी । अनावेदक क्र.-1 के पास ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं, इसकी उसे जानकारी नहीं है । यह भी स्वीकार किया है कि जब वाहन का बीमा किया गया तो उस समय वाहन नया होने से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था और इंजन, चेसिस नंबर के आधार पर बीमा हुआ था । नयी गाडी का बीमा होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होता है । उसके मुताबिक 7 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है और प्रदर्श डी.-3 में ऐसी कोई शर्त नहीं है लेकिन मोटरयान अधिनियम की शर्तें लागू होती हैं और पॉलिसी शर्तों का यदि पालन होता है तो बीमा कंपनी उत्तदायी होती है, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि अस्थाई रजिस्ट्रेशन के बाद स्थाई रजिस्ट्रेशन होता है । प्रदर्श डी.-3 मुताबिक दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्र.-1 की गाडी वैध रूप से बीमित थी, जिसकी शर्तों मुताबिक साढ़े सात लाख तक की क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व उल्लेखित है । प्रदर्श डी.-4 अनावेदक क्र.-1 संतोष कुमार का ड्राइविंग लाइसेंस पेश किया है, जो दिनांक-1/3/2007 को जारी किया गया था और 28/2/2027 तक के लिए वह वैध है, जिससे दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्र.-1 के पास कार का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना प्रमाणित होता है ।

16. रजिस्ट्रेशन के आधार पर ऊपर ही लिखा जा चुका है, ऐसे में बीमा शर्तों का कोई उल्लंघन वर्तमान प्रकरण में होना परिलक्षित नहीं होता है । जैसा कि अनावेदक क्र.02 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है और यदि कोई तकनीकी त्रुटि असत्य और सत्य रजिस्ट्रेशन के संबंध में होत हो उस बारे में पूर्ण नस्ती आर.टी.ओ कार्यालय से बीमा कंपनी द्वारा आहूत नहीं की गयी



। ऐसे में इस बिन्दु का उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है । प्राथमिक उत्तरदायित्व के संबंध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृ0 नेशनल इंश्योरेस मिलिटेड विरुद्ध श्रीमती कांतीदेवी एवं अन्य 2010 भाग-2 डी.एम.पी.-413 {म0प्र0} में यह प्रतिपादित किया गया है कि चालक पर वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस न होने के बावजूद प्राथमिक उत्तरदायित्व बीमा कंपनी पर क्षतिपूर्ति के लिए आयेगा । बीमा कंपनी चाहे तो दुर्घटनकारी वाहन वाले वाहन स्वामी और चालक से क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली की कार्यवाही कर सकती है इसलिये जो बिन्दु उठाये गये हैं, उनका इस प्रकरण में अनावेदकगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा और अभिलेख पर जो मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश है, उससे प्रश्नाधीन इंडिगो वाहन की बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित नहीं होता है । फलतः वादप्रश्न क्रमांक-04 अनावेदक क्र.-2 के विरुद्ध निर्णीत करते हुए “अप्रमाणित” ठहराया जाता है और उसका प्रथम उत्तरदायित्व अभिनिर्धारित किया जाता है ।

#### वादप्रश्न क्रमांक-5

17. इस वादप्रश्न का प्रमाण भार अनावेदक क्र.-2 पर था और अनावेदक क्र.-2 की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य तथ्य या परिस्थितियां अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे आवेदकगण और अनावेदक क्र.-1 के मध्य कोई दुरभि संधि स्थापित होती हो । जहां तक आवेदकगण की मोटर साइकिल के स्वामी को पक्षकार बनाये जाने का प्रश्न है, वह आवेदक क्र.-1 के रूप में पक्षकार है और दावेदार है । ऐसे में प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का कोई दोष भी प्रमाणित नहीं होता है । फलतः वादप्रश्न क्र.-5 भी “अप्रमाणित” निर्णीत किया जाता है ।

#### वादप्रश्न क्रमांक- 6 और 7

18. प्रकरण में यह प्रमाणित हो चुका है कि अनावेदक क्र.-1 की गाडी से हुई दुर्घटना में ही आवेदकगण घायल हुए और अमन को गंभीर और दशरथ, भूरीबाई को साधारण चोटें आयी । अभिलेख पर आवेदक दशरथ अ.सा. -1 ने अमर का रिफर किये जाने पर बी.आई.एम.आर. अस्पताल ग्वालियर में दिनांक-25/5/2012 से 29/5/2012 के दरम्यान भर्ती रहकर इलाज व उपचार कराया, जिसमें उसकी जांचे, उपचार, ऑपरेशन आदि में हुए खर्च एवं दवाईयों के पर्चे बिल एवं मेडीकल रिपोर्ट प्रदर्श पी.-11 लगायत पी.-47 तक पेश किए हैं, जिनके अवलोकन से आहत अमन के इलाज पर **1,34,552** रुपये खर्च होना पाये जाते हैं और प्रदर्श पी.-11 लगायत-47 के दस्तावेजों का कोई खण्डन अभिलेख पर नहीं है, जो राशि इलाज मद में वह पाने के लिए पात्र है तथा अस्थि भंग होने से उसकी शारीरिक, मानसिक पीडा के मद में आवेदक अमन इलाज के खर्चे के अलावा **25,000** रुपये एवं उसके पांच दिन भर्ती रहने के दौरान विशेष खानपान अटेण्डर व आवागमन के मद में **5000 रुपये** कुल मिलाकर आवेदक अमन **1,64,852 रुपये** (एक लाख चौसठ हजार आठ सौ बावन रुपये) एवं आवेदक दशरथ एवं भूरीबाई को प्रदर्श पी.-6 और 7 मुताबिक आयी साधारण चोटों से सहन की गयी शारीरिक, मानसिक पीडा के मद में वे **एक-एक हजार रुपये** अनावेदकगण से संयुक्ततः व पृथक्कतः पाने के पात्र माने जाते हैं और प्राथमिक उत्तरदायित्व अनावेदक क्र.-2 बीमा कंपनी का अभिनिर्धारित किया जाता है ।

19. अतः वादविचार धारा-166 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत मूल आवेदनपत्र आंशिक रूप से उक्त दोनों वादप्रश्नों का निराकरण करते हुए स्वीकार करते हुए आवेदकगण के पक्ष में अनावेदकगण के विरुद्ध निम्न आशय का अधि-निर्णय पारित किया जाता है :-

- (अ)- आवेदकगण, अनावेदकगण से उक्त दुर्घटना की क्षतिपूर्ति बाबत कुल मिलाकर **1,66,852 रुपये** (एक लाख छियासठ हजार आठ सौ बावन रुपये) एवं उसपर 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज आदेश दिनांक से प्राप्त करने का पात्र होगा ।  
अनावेदकगण संयुक्ततः व पृथक्कतः उक्त क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी रहेंगे, जो दो माह के भीतर उक्त राशि विधिवत जमा करें ।
- (ब) उक्त क्षतिपूर्ति राशि का प्राथमिक उत्तरदायित्व अनावेदक क्र.-2 बीमा कंपनी पर रहेगा, वह चाहे तो अनावेदक क्र0-1 से विधि अनुसार वसूली की कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा ।
- (स) अनावेदक क्र.-3 अमन जो वर्तमान में 07 वर्ष का अव्यस्क है, उसके लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि **1,64,852 रुपये** में से एक लाख रुपये 11 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते में जमा करायी जावे, जो इस अधिकरण के आदेश के बगैर आहरित नहीं की जा सकेगी, न ही उसपर कोई ऋण या प्रतिभूति स्वीकार की जावेगी, इस बाबत बैंक को निर्देश जारी हो । शेष राशि 64,852 रुपये उसके प्राकृतिक संरक्षक पिता दशरथ के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता में विधिवत जमा की जावे तथा आवेदक दशरथ और भूरीबाइ को एक-एक हजार रुपये क्षतिपूर्ति भी बचत खाता के माध्यम से उन्हें भुगतान की जावे ।
- (द) अनावेदकगण, आवेदक का प्रकरण व्यय अपने व्यय के साथ साथ वहन करेंगे, जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किए जाने पर अथवा एक हजार रुपये में से जो भी कम हो जोडा जावे ।

20. तदनुसार अवार्ड पारित किया जाता है । व्यय तालिका बनायी जावे ।

दिनांक: 17 जून 2014

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया

(पी.सी. आर्य)  
सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा  
दुर्घटना अधिकरण, गोहद  
जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)  
सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा  
दुर्घटना अधिकरण, गोहद  
जिला भिण्ड

